रिकस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-08012021-224288 CG-MH-E-08012021-224288

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] No. 06] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

### भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2021

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/02.— बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-
  - I. अनुसूची-III में, भाग-क में, -

121 GI/2021 (1)

- क. मद क में, खंड 16 में, मौजूदा उप-खंड (ठ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
  - "ठ) जिस समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) की मंजूरी दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अड्जूडिकेटिंग अथॉरिटी) द्वारा दी गई हो, उसकी मुख्य बातें और उसके ब्यौरे (जिनमें व्यवसाय संबंधी गोपनीय जानकारी शामिल नहीं है), जिनमें ये ब्यौरे भी शामिल होंगे:
    - (i) कंपनी की पहले की और बाद की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ);
    - (ii) सीआईआरपी के बाद कंपनी की आस्तियों (असेट्स) के ब्यौरे;
    - (iii) कंपनियों की आस्तियों (असेट्स) पर जो जमानत (सिक्यूरिटीज़) जारी रहेंगी, उनके ब्यौरे:
    - (iv) कंपनी पर अन्य महत्त्वपूर्ण दायित्व;
    - (v) पहले का और बाद का ब्यौरेवार शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न), यह मानते हुए कि संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का 100% संपरिवर्तन (कन्वर्जन) हो चुका है;
    - (vi) कंपनी में लगाए गए पैसों (फंड), लेनदारों को किए गए भुगतान के ब्यौरे;
    - (vii) लेनदेन (ट्रांजैक्शन) की वजह से आने वाले नए निवेशकों पर अतिरिक्त दायित्व, इस प्रकार की गई फंडिंग के स्रोत आदि;
    - (viii) निवेशकों पर पड़ने वाला असर संशोधित पी/ई, आर.ओ.एन.डब्ल्यू. अनुपात, आदि:
    - (ix) नए संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स), प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हो (हों), के नाम और पहले वे जो कारोबार या कार्य करते थे उससे जुड़ा पिछला अनुभव। जहाँ संप्रवर्तक (प्रोमोटर्स) कंपनियाँ हों, वहाँ ऐसी कंपनी का पूरा पिछला रिकॉर्ड और नियंत्रण रखने वाले प्रकृत व्यक्तियों (नैचुरल पर्सन) के नाम;
    - (x) कारबार नीति (बिजनेस स्ट्रेटेजी) का संक्षिप्त विवरण।"
- ख. मद क में, खंड 16 में, मौजूदा उप-खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-खंड अंत:स्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -
  - "ढ) आने वाले नए निवेशक / अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) संबंधी अपेक्षा पूरी करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम;
  - ण) न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) संबंधी अपेक्षा पूरी करने की स्थिति के संबंध में तिमाही प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र);
  - त) यदि समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) में असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) से संबंधित किसी योजना को मंजूरी मिली हो, तो उसके ब्यौरे ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./442/2020-21]

#### पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013,2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

3

- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
  - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
  - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
  - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
  - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
  - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./ जी.एन./2016-17/29, द्वारा
  - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
  - छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
  - ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
  - झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
  - ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
  - ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
  - ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
  - ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
  - ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा
- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा
- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2021

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/02.**— In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-
  - I. In Schedule III, in Part A,
    - a. under point A, in clause 16, the existing sub-clause (l) shall be substituted with the following, namely, -
      - "l) Specific features and details of the resolution plan as approved by the Adjudicating Authority under the Insolvency Code, not involving commercial secrets, including details such as:
        - (i) Pre and Post net-worth of the company;
        - (ii) Details of assets of the company post CIRP;
        - (iii) Details of securities continuing to be imposed on the companies' assets;
        - (iv) Other material liabilities imposed on the company;

- (v) Detailed pre and post shareholding pattern assuming 100% conversion of convertible securities;
- (vi) Details of funds infused in the company, creditors paid-off;
- (vii) Additional liability on the incoming investors due to the transaction, source of such funding etc.;
- (viii) Impact on the investor revised P/E, RONW ratios etc.;
- (ix) Names of the new promoters, key managerial persons(s), if any and their past experience in the business or employment. In case where promoters are companies, history of such company and names of natural persons in control;
- (x) Brief description of business strategy."
- b. under point A, in clause 16, after the existing sub-clause (m), the following new sub-clauses shall be inserted, namely, -
  - "n) Proposed steps to be taken by the incoming investor/acquirer for achieving the MPS;
  - o) Quarterly disclosure of the status of achieving the MPS;
  - p) The details as to the delisting plans, if any approved in the resolution plan."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./442/2020-21]

#### Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2<sup>nd</sup> September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
  - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
  - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
  - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
  - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025.
  - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/ GN/2016-17/029.
  - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
  - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
  - h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
  - i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
  - j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
  - k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
  - November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment)Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 05, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.